

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.29()न्याय/2022

जयपुर, दिनांक 26.07.2022

::आज्ञा::

प्रशासनिक सुधार (ग्रप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को अधीनस्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में नियुक्त/पदस्थापित करने हेतु निम्नानुसार जिला आवंटित किया जाता है:-

अनुसूचित क्षेत्र हेतु आवंटित अभ्यर्थियों की सूची :-

SL. NO.	RANK	ROLL NO.	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	GENDER	CANDIDATE ADDRESS	ALLOTTED DISTRICT AND DEPARTMENT NAME
1.	5225	217268	KHUSHBU PUROHIT	PRAVEEN CHANDRA PUROHIT	F	पुरुषोत्तम विश्राम गृह, विनोद टाकिज के सामने, पुराना बस स्टैण्ड, बांसवाड़ा	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बांसवाड़ा
2.	5772	224145	JITENDRA SINGH PANWAR	NARAYAN SINGH PANWAR	M	एस-2, कान्दा हाउस के पीछे, जैन मंदिर, राजस्थान हॉस्पिटल रोड, सेक्टर-14, तहसील-गिरवा, जिला-उदयपुर	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डूंगरपुर

गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु आवंटित अभ्यर्थियों की सूची :-


SL. NO.	RANK	ROLL NO.	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	GENDER	ADDRESS	ALLOTTED DISTRICT AND DEPARTMENT NAME
1	290	108040	LAXMI KUMAWAT	CHHIGAN LAL	F	मोती राम जी की कोठी, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी, नागौर, पिन कोड-341508	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पाली
2	322	161384	BHASKAR MAHARSHI	GOPI SHARMA	M	महर्षि भवन, सब्जी मंडी, गांधी चौक, आमेर, जयपुर-302028	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 1, भीलवाड़ा
3	332	138720	SHRAVAN KUMHAR	CHENA RAM KUMHAR	M	शिव शक्ति गैस गोदाम के पीछे, आरसीसी रोड, एलसीजी की दुकान के पास, बंगला नगर, वार्ड न. 01 बीकानेर-334004	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नागौर
4	336	158588	ASHISH KALARWAL	RAMESH CHANDRA BAIRWA	M	प्लॉट न. 06, गुरुनानक नगर, पन्नु पेट्रोल पम्प के पास, जयपुर बाईपास, दौसा-303303	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दौसा
5	341	156204	GANESH KUMAR SHARMA	RAJESH KUMAR SHARMA	M	ग्राम पोस्ट खेड़ला खुर्द, तहसील लालसोट, जिला दौसा-303504	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 1, कोटा
6	371	152586	MANISH SAINI	OM PRAKASH SAINI	M	राज बिल्डरस के पास, साहब जोड़ा, विजय मंदिर रोड, अलवर-301001	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अलवर
7	374	179901	DIPESH CHAYAL	RAM SINGH CHAYAL	M	प्लॉट न. 047, ओझा जी का बाग, गांधी नगर मोड़, जयपुर-302015	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भरतपुर
8	380	152300	ROHIT SHARMA	MAHAVEER PRASAD SHARMA	M	30-ई, कालीभोरी हीराबास, स्टीम पॉवर हाउस के पास, अलवर-301001	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण करौली
9	386	108326	LOKESH	UMA RAM	M	ग्राम जसवंतपुरा, पोस्ट पाचवा, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर-341508	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 2, भीलवाड़ा

10	644	137940	BHAIRURATAN OJHA	SHYAM SUNDER OJHA	M	मथुरा पब्लिक स्कूल के पास, नाथुसर बास, बीकानेर-334001	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर
11	653	126880	AKHILESH SHARMA	KAMLESH SHARMA	M	ग्राम सुकार(वनगंज की ढाणी) तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर- 322212	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सवाई माधोपुर
12	687	167830	PHANEESH KUMAWAT	TARA CHAND KUMAWAT	M	22 नालदा विहार, विश्वकर्मा नगर-3, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर-302018	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 2, कोटा
13	693	168768	KIRAN CHOUDHARY	PHOOL CHAND CHOUDHARY	F	गांव टांटियावास, पोस्ट रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर-303704	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर
14	706	107778	SONU KHOKHAR	BALDEVA RAM	F	वाडें न. 02, खोखरों का बास, पोस्ट सुदरासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर -341551	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर
15	747	131211	NITU	MAHANAND TAKHER	F	वाडें न. 37 (नया) पंचायत समिति के पीछे, सुरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर-335804	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 2 उदयपुर
16	1283	173165	POONAM KUMARI MEENA	RAMESH KUMAR MEENA	F	प्लॉट न. ए-27, गली नं 01, टाटा नगर, शास्त्री नगर, जयपुर-302016	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 2 जयपुर
17	1539	116919	RAMDAYAL GURJAR	SURAJ MAL GURJAR	M	92 छपरिया की ढाणी, चुराड़ा, तहसील निवाई, पोस्ट नया गांव, जिला टोंक-304025	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 1 बूंदी
18	2402	176777	GIRRAJ MEENA	RAJENDRA KUMAR MEENA	M	पोस्ट कुकस, तहसील आमेर, ढाणी सीरा की छापरा में, जिला जयपुर-302038	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण झालावाड़
19	2686	174568	RAKESH KUMAR MEENA	MOHAN LAL MEENA	M	ग्राम पोस्ट दुधली, तहसील बस्ती, जिला जयपुर-303301	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़
20	2735	177830	VIKAS MAHAWAR	CHANDRA PRAKASH MAHAWAR	M	3955 लंगर के बालाजी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर-302001	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम संख्या 2 बूंदी
21	3001	150460	KARUNANIDHI BAKOLIA	BABU LAL BAKOLIA	M	ज्याति नगर वाडें 12 सुरजगढ़, जिला झुंझुनु-333029	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण झुंझुनु
22	3037	177705	SOURABH KUMAR BALOTIYA	KAILASH CHAND BALOTIYA	M	छत्रपति शिवाजी कॉलानी, कालवाड़, जयपुर-303706	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजसमन्द
23	3155	125971	BRAJESH KUMAR JATAV	BABU LAL JATAV	M	ग्राम चैनपुर, पोस्ट वरिया, तहसील व जिला करौली-322255	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धौलपुर

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 13.07.2022 में दिये गये निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करें:-

1. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
2. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों को जिस कार्यालय में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण (जाईनिंग रिपोर्ट) करना हो उस कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer / typing संबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी. / विकलांग आदि) के संबंध में तथा अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके सतुष्टि कर ले कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। सभी दस्तावेजों / प्रमाण - पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र

- सहित) की सत्य प्रतिया (Certified / Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जायें।
3. ओ.बी.सी. एवं एन.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो।
 4. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं संतान संबंधी शपथ-पत्र ख कार्मिक (क -2) विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति कराये।
 5. गर्भवती महिला अभ्यर्थी के लिये कार्मिक (क -2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
 6. स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
 7. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के संबंध में नियम संबंधी (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम , 1999) स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन हेतु कार्मिक (क -2) विभाग से सीधे ही पत्र व्यवहार करें।
 8. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के मूल आवेदन दस्तावेजों एवं कम्प्यूटाइज्ड Attestation form में कमी/ त्रुटि आदि पाये जाने पर सीधे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , जयपुर से पत्र व्यवहार करे।
 9. अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थी के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प 7.(1)कार्मिक/क -2 / 2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में पूर्व में स्वीकृत 1 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये है जिनकी सूचना आप द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है, के विरुद्ध ही इन 4 प्रतिशत अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जावे।
 10. नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग , वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों (Terms and Conditions of appointment) को सम्मिलित करें।
 11. नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात उक्त आदेशों को संकलित कर एकजाई सूचना इस विभाग की एक प्रति सचिव , राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायें। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना एवं यदि अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार नियत अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया जाता है, जो नियमानुसार नियुक्ति निरस्त कर मूल आवेदन पत्र इस विभाग को लौटाए।
 12. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(04)कार्मिक/क-5/2017 पार्ट-III दिनांक 05.04.2021 के बिन्दु संख्या 9 एवं 10 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराई जावे:-
 9. भर्ती एजेंसी से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापन, काउंसलिंग एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं अविलम्ब पूर्ण की जाकर चयन सूची प्राप्त होने के 04 सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। वर्तमान मे समय में मेल, विभागीय वेबसाईट एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से सूचनाएं अविलम्ब चयनित अभ्यर्थी को उपलब्ध हो जाती है अतः नियुक्ति आदेश मे कार्यग्रहण हेतु 03 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए।
 10. नियुक्ति आदेश में दी गई कार्यग्रहण तिथि समाप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा 04 सप्ताह के अंदर सभी कार्यालयाध्यक्षों से कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थी की सूचना प्राप्त कर ली जाए।




उक्त बिंदु के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही करावें:-

1. मूल आवेदन में संलग्न Attestation form के अनुसार इनके चरित्र आचरण के संबंध में पुलिस सत्यापन जाँच करवाई जाये ।
2. अभ्यर्थी से कार्यग्रहण करते समय इनकी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र नियमानुसार संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जारी लिया जाये ।
3. विवाह संबंधी शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग होने की स्थिति में निशक्तता प्रमाण पत्र, दहेज न लेने का शपथ पत्र, विधवा/ परित्यक्ता के संबंध में शपथ पत्र, धूम्रपान/ मद्यपान नहीं करने एवं गुटख्रा नहीं खाने का स्वघोषणा पत्र, परित्यक्ता महिला की स्थिति में न्यायालय निर्णय/ डिक्री की प्रति संतान संबंध में घोषणा पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थी की निजी पत्रावली में संलग्न करें।

उक्त सभी बिन्दुओं के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर, अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी कर कार्यग्रहण करावें तथा नियुक्ति आदेश प्रति एवं कार्यग्रहण की प्रति इस विभाग को भिजवाये।

आज्ञा से




(प्रेम नारायण)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
2. संबंधित न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
3. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
4. संबंधित अभ्यर्थी।
5. रक्षित पत्रावली।



वरिष्ठ शासन उप सचिव